न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–6, अयोध्या।

पीठासीनः दीपिका तिवारी, ...उच्चतर न्यायिक सेवा, जे०ओ० कोड–यू.पी. 2719

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–140/2023
CNR No. UPFZ010051422023
Computer Registration No. 165/2023

श्याम लाल आयु लगभग 70 वर्ष पुत्र श्री भवानी फेर निवासी ग्राम बेलगरा, थाना तारुन, जिला अयोध्या।

-------निगरानीकर्ता।

बनाम

1. सरकार उत्तर प्रदेश।

2. राम गरीब पुत्र श्री भानू केवट

3. माला देवी पत्नी राम गरीब

4. अमर जीत पुत्र ओरौनी

समस्त निवासीगण ग्राम गंगापुर (कान्धरपुर) टिकरी, थाना तारुन, जिला अयोध्या।

-------विपक्षीगण।

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण, निगरानीकर्ता श्यामलाल द्वारा विद्वान परीक्षण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 03.08.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा एफ.आर. नं. 318/2022 श्यामलाल बनाम राम गरीब आदि, थाना तारुन, जिला फैजाबाद, अपराध संख्या–284/2021, धारा–302, 201, 506 भा.दं.सं. में एफ.आर. स्वीकार कर निगरानीकर्ता का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है।

2. प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण में निगरानीकर्ता श्याम लाल द्वारा यह आधार लिया गया है कि उक्त एफ० आर० से सम्बन्धित मुकदमा अ० सं0–284/2021 धारा–302, 201, 506 आई० पी० सी० निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र धारा–156 (3) जा० फौ० के आधार पर माननीय न्यायालय सिविल जज (जू० डि०) नवम् के आदेश पर थाना तारून में विपक्षीगण 2 ता 4 के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। दौरान विवेचना निगरानीकर्ता के तरफ से भगवत प्रसाद, दिनेश, नीलम निषाद व सतगुरु का शपथपत्र / साक्ष्य में प्रस्तुत किया था। विवेचक ने मनमाने ढंग से प्रस्तुत गवाह शपथ पत्र पर कोई ध्यान न देते हुए केवल अभियुक्तगणों के पक्ष में साक्षी द्वारिका प्रसाद, भगवान दास आदि का बयान धारा–161

Digitally signed by Deepika Tiwari
Date: 2026.06.12 16:09:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

जा० फौ० के लिपिबद्ध करते हुए विवेचना समाप्त करके अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित किया था। विवेचक ने विपक्षीगण के गवाहान अमृता निषाद पत्नी भानु केवट, जगलाल निषाद पुत्र मथुरा निषाद, श्याम लाल पुत्र राम अवतार, अयोध्या प्रसाद पुत्र राम ओरौनी, शिव पूजन गोस्वामी पुत्र राम अछैबर गोस्वामी समस्त निवासी नरायनपुर एक ही गाँव के है। बयान 161 में विरोधाभाष है। कोई प्रार्थी/ निगरानीकर्ता के चाची को ले जाने की बात डेढ़ साल, तो कोई 18 माह तथा राम गरीब पुत्र भोला नाथ यादव, भगवान दास वर्मा पुत्र हौसिला प्रसाद, द्वारिका प्रसाद पुत्र राम केवल, सभापति वर्मा पुत्र केशव राम बेलगरा के बयान में 2 वर्ष का कथन आया है। सभी के बयान में आपस में बहुत बड़ा विरोधाभाष है। इस तथ्य को ध्यान नहीं दिया गया है। जबकि वादी मुकदमा और सतगुरू के बयान के अनुसार प्रार्थी/ निगरानीकर्ता की चाची कौशिल्या देवी ने लगभग 1 वर्ष पहले उठा ले गये, जो धारा–161 के बयान में काफी विरोधाभाष है, परन्तु न्यायालय द्वारा स्वयं मुल्जिमों द्वारा 4 साल पहले निगरानीकर्ता की चाची कौशिल्या देवी ले जान की बात मानना न्यायोचित नहीं है। विवेचक ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के शपथपत्र पर बिना कोई टिप्पणी किये हुए विवेचना की है। अभियुक्तगणों को लाभ पहुँचाने की नियत से विवेचना की है, इससे विवेचना निश्चित तौर से त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकर्ता ने अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध विद्वान सी०जे०एम० महोदय के न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और साथ में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए विवेचक को दिये गये साक्षियों/गवाहों का शपथ पत्र को समर्थित किया था। विद्वान सी० जे० एम० महोदय फैजाबाद ने केस डायरी में विवेचक द्वारा लिखे गये साक्ष्यों के बयान द्वारिका प्रसाद निषाद, भगवान दास व सभापति वर्मा के बयान अन्तर्गत धारा–161 जा० फौ० पर विश्वास को प्रगट किया, किन्तु अभियोजन पक्ष की तरफ से जो शपथपत्र प्रस्तुत किये गये थे, उस पर विश्वास न कर कानूनी भूल की है। चूँकि अभियुक्त राम गरीब ने कौशिल्या देवी की जमीन हड़प करने की नियत से, उसे विषैला पदार्थ खिलाकर उसकी मृत्यु कारित किया था, इसी कारण उसने कौशिल्या देवी के लाश का कोई न तो पंचनामा कराया, न ही पोस्टमार्टम कराया। ऐसी दशा में यह कहना कि पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, सर्वथा अभियोजन के विरुद्ध है। न्याय की दृष्टि से उक्त प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना किया जाना नितान्त आवश्यक है। विद्वान सी० जे० एम० महोदय, फैजाबाद ने अपने आदेश में समग्र रुप से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व शपथपत्र पर कोई परिशीलन आख्या नहीं दी है इसलिए उक्त आदेश कानून की दृष्टि में टिकाऊ नहीं है। उपरोक्त के आधार पर निवेदन है कि आदेश दिनांक 03–08–2023 पूर्णरुप से निरस्त करते हुए निगरानी कर्ता की निगरानी पूर्णरुप से स्वीकार किये जाने का आदेश देने की कृपा की जावे।

3. विपक्षीगण माला देवी, राम गरीब व अमरजीत के द्वारा उपरोक्त निगरानी के विरुद्ध लिखित आपत्ति 8ब प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि एफ.आर. संख्या 318/2022 से संबंधित अपराध संख्या–284/2021 धारा 302, 201, 506 भा.दं.सं. निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र पर धारा 156(3) जा.फौ. के आधार पर माननीय न्यायालय सिविल जज

(जू.डि.) नवम के यहाँ गलत तथ्यों को दर्शाते हुए गुमराह करके मनगढ़न्त कहानी के आधार पर थाना तारुन में विपक्षीगणों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। दौरान मुकदमा निगरानीकर्ता के तरफ से जो शपथ पत्र साक्ष्य भगवत प्रसाद, दिनेश, नीलम निषाद व सतगुरु की तरफ से प्रस्तुत किया गया है वह साक्षीगण निगरानीकर्ता के ही मेली मददगार हैं जिस कारण से उन्हीं लोगों का साक्ष्य दाखिल किया गया है जबकि निगरानीकर्तागण के गांव सभा काफी लम्बी है। विवेचक महोदय के द्वारा सम्भ्रान्त व्यक्तियों को जब सत्ता की जानकारी हुयी, निगरानीकर्तागण की ग्राम सभा काफी लम्बी है तो निगरानीकर्ता की सभी बातें असत्य पायी गयी, पता चला कि वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक मृत्यु हुयी है। विवेचक महोदय ने उपरोक्त ग्राम सभा में जा करके जांच किया, जांच के दौरान सम्भ्रान्त व्यक्तियों में साक्षी दुर्गा प्रसाद, भगवानदास आदि का बयान धारा–161 जा.फौ. में अंकित किया और शपथ पत्र भी ले करके अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया जो कि सत्य है। विवेचक ने विपक्षीगण के गवाहान अमृता निषाद पत्नी भानु केवट जगलाल निषाद पुत्र मथुरा निषाद, श्यामलाल, राम औतार, अयोध्या प्रसाद पुत्र राम ओरौनी, शिवपूजन गोस्वामी पुत्र राम अछैवर गोस्वामी का नाम विवेचना करते समय मिला है। एक ही गांव नरायनपुर का नही बताया है। 161 दं.प्र.सं. के बयान में कोई विरोधाभास भी नही है। निगरानीकर्ता के द्वारा वसीयतकर्ता कौशिल्या देवी को शारीरिक व मानसिक रुप से प्रताड़ित किया जाता रहा जिससे क्षुब्ध होकर के अपनी बहन के लड़के राम गरीब व भानु केवट निवासी कांधरपुर को चल व अचल सम्पत्ति लिख दी थी। इसी रंजिश के कारण निगरानीकर्ता के द्वारा नामित अभियुक्त बनाने का प्रयास किया गया था। राम गरीब पुत्र भोलानाथ यादव, भगवानदास वर्मा, हौसिला प्रसाद वर्मा, द्वारिका प्रसाद पुत्र राम केवल, सभापति वर्मा पुत्र केशवराम वर्मा आदि के बयान भी अंकित हैं, उसमें कोई विरोधाभास नही है। जबकि वादी मुकदमा और सतगुरु के बयान के अनुसार निगरानीकर्त की चाची कौशिल्या देवी ने लगभग 10 वर्ष पहले उठा ले गये जो धारा–161 के बयान में कोई विरोधाभास भी नही है। न्यायालय द्वारा तथाकथित मुल्जिमानों द्वारा सत्यता के पहले ही कौशिल्या देवी को ले जाने वाली बात सही है जो कि सत्य है। जैसा कि विवेचना से स्पष्ट हो रहा है। विवेचक ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के शपथ पर पर साक्ष्यों का अवलोकन करके ही विवेचना की है तथाकथित अभियुक्तगणों को कोई लाभ पहुंचाने की नीयत से कोई विवेचना नही की गयी है। विवेचना सत्य है। कोई त्रुटिपूर्ण विवेचना नही है। निगरानीकर्ता के द्वारा अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध विद्वान सी.जे.एम. महोदय के न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और साक्ष्य में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए विवेचक को दिये गये साक्षी/गवाहों का शपथ पत्र को समर्थित किया गया था। गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के बयान व शपथ पत्रों की अवलोकन व सत्यता की जानकारी होने के उपरान्त प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। सत्यता को दृष्टिगत रखते हुए विवेचक महोदय की केस डायरी व साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए व 161 दं.प्र.सं. के बयान को दृष्टिगत रखते हुए निगरानीकर्ता के

प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया है। राम गरीब पुत्र भानु केवट एक निहायत मजदूरी पेशा व्यक्ति है और सरला देवी राम गरीब की सगी मौसी थी जो अधिकांशतः राम गरीब के पास ही रहती थी। राम गरीब ही अपनी मौसी के घर बेलगरा बराबर अपने घर से आया जाता करता था जिससे खुश हो करके कौशिल्या देवी ने अपनी मौसी की अत्यन्त जर्जर वृद्धावस्था देखकर सेवा परवरिश करने के लिए अपने घर ले गया था। सेवा परवरिश करने के उपरान्त उनकी स्वाभाविक मृत्यु बुढ़ापावस्था होने के कारण हुयी थी। विपक्षीगणों के द्वारा कोई विषैला पदार्थ नही खिलाया गया था। निगरानीकर्ता को शंका थी तो मरने के तुरन्त बाद ही स्थानीय थाना तारुन प्रार्थना पत्र क्यों नही दिया, दो माह हो जाने के बाद विपक्षीगणों के द्वारा सोची समझी रणनीति के तहत प्रार्थीगणों को फंसाने की नीयत से प्रार्थना पत्र दिया जाता रहा है जिस कारण से निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त होने योग्य है। सी.जे.एम. फैजाबाद के द्वारा केस डायरी एवं अभियोजन के बयानों व ग्राम सभा के सम्भ्रान्त व्यक्तियों के शपथ पत्रों एवं 161 के बयानों को अवलोकन करने के उपरान्त ही निरस्त किया गया है जो कि सत्य है। निगरानीकर्ता की निगरानी कपोल कल्पित, मनगढ़न्त कहानी के आधार पर गढ़ी जाने के कारण निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आदेश दिनाँक 03.08.2023 को सी.जे.एम. फैजाबाद के आदेश को बहाल करते हुए निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त करने की कृपा की जावे।

मैंने निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ०) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

4. निगरानीकर्ता द्वारा उक्त दाण्डिक निगरानी दाखिल करने के पश्चात निगरानीकर्ता विगत कई तिथियों से लगातार गैरहाजिर चल रहा है। निगरानीकर्ता के पैरवी के अभाव में प्रतिपक्षीगण 2 लगायत 4 भी उपस्थित नही हुए। चूँकि निगरानीकर्ता की अनुपस्थिति में दाण्डिक निगरानी निरस्त नही की जा सकती। प्राचीन पत्रावलियों को शीघ्र/प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के दृष्टिगत पत्रावली निर्णय हेतु नियत की गयी। उपरोक्त पक्ष को बहस हेतु पुनः अवसर दिया गया जिसके बावजूद उपरोक्त पक्ष द्वारा कोई बहस नही की गयी न ही समय याचना का कोई प्रार्थना पत्र उपरोक्त पक्ष द्वारा दिया गया। विपक्षी संख्या 1 राज्य की तरफ से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अपनी मौखिक बहस की गयी कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि व अनियमितता नही है। अतः उक्त आदेश पुष्ट किया जाये। निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त की जाये।

5. विपक्षी स०-1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनाँकित 03.08.2023 का अवलोकन किया। विधि व्यवस्था **सन्तोष**

बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश (2010)3 SCC (Criminal) पेज 307 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि **"निगरानी का निस्तारण गुण-दोष पर ही किया जाना चाहिए।"**

रंजना बनाम शिवाजी 2004 सी०आर०एल०जे० 145 (बाम्बे) के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्णय पारित किया गया है कि- Hearing of the revision in the absence of the petitioner or his advocate is not illegal.

6. दाण्डिक निगरानी के मामले में निगरानी न्यायालय को यह देखना होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई तात्विक अनियमितता, अवैधानिकता अथवा क्षेत्राधिकार से परे आदेश पारित तो नहीं किया गया है, क्योंकि निगरानी न्यायालय मामले की तथ्य परक जाँच नहीं कर सकती, न ही अपने निष्कर्ष को तथ्यों पर अवलम्बित कर सकती है जब तक कि यह साबित नहीं हो कि प्रश्नगत आदेश (परवर्स) है।

7. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता के प्रार्थना पत्र 156(3) दं०प्र०सं० पर संज्ञान लेते हुए प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु आदेश दिनांक 17.11.2021 को पारित किया गया था। इसके अनुपालन में प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं०–284/2021 अंतर्गत धारा–302, 201, 506 भा०दं०सं० संबंधित थाने में दर्ज की गयी जिसमें रिवीजनकर्ता ने अपनी चाची कौशिल्या देवी को विपक्षी द्वारा चार साल पहले उठाकर ले जाने और मारपीट कर वसीयत कराकर जमीन के लालच में उनको जहरीला पदार्थ खिलाकर उनकी हत्या कर शव को जला देने के आरोप लगाये थे। परन्तु दौरान विवेचना विवेचक द्वारा उक्त मु०अ०सं० में अन्तिम रिपोर्ट दाखिल की गयी जिसमें यह पाया गया कि रिवीजनकर्ता की चाची कौशिल्या देवी की मृत्यु वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक रुप से हुयी है जिसके विरुद्ध रिवीजनकर्ता ने विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रोटेस्ट पेटीशन दाखिल की।

8. विद्वान अवर न्यायालय द्वारा रिवीजनकर्ता की प्रोटेस्ट पेटीशन को खारिज करते हुए अपने आदेश में विस्तृत रुप से केस डायरी में की गयी विवेचना एवं स्वतंत्र साक्षियों के बयान अंतर्गत धारा 161 दं०प्र०सं० के आधार पर रिवीजनकर्ता की प्रोटेस्ट पेटीशन खारिज की दी गयी।

9. पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि रिवीजनकर्ता की चाची मृतका कौशिल्या देवी द्वारा अपने बहन के पुत्र विपक्षी संख्या–2 राम गरीब के पक्ष में पंजीकृत वसीयतनामा अपने जीवन काल में दिनांक 27.11.2020 को निष्पादित किया था जिसमें विपक्षीगण संख्या–3 व 4 माला देवी व अमरजीत गवाह थे। केस डायरी संख्या–2 के पृष्ठ–4 पर मृतका कौशिल्या देवी की बहन अमृता के बयान अंकित हैं जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया है कि मृतका कौशिल्या देवी, 75 वर्ष उसकी छोटी बहन थी जो काफी वृद्ध हो गयी थी। उनके पति की मृत्यु के उपरान्त से उसके पति के भाई के लड़के उसे बहुत प्रताड़ित करते थे जिससे तंग आकर वह उनके पास आ गयी थी और उनका पालन पोषण

उसके पुत्र राम गरीब और पत्नी माला देवी द्वारा किया जा रहा था जिससे खुश होकर दिनांक 27.11.2020 को रजिस्टर वसीयत के जरिए मृतका ने अपनी चल अचल सम्पत्ति उसके पुत्र के नाम कर दी। उसकी बहन की मृत्यु अत्यधिक वृद्धावस्था के कारण 18.08.2021 को स्वाभाविक रुप से हुयी जिसका दाह संस्कार उसके पुत्र राम गरीब द्वारा किया गया। सी०डी०–3 के पर्चा नं०–2, 3 में स्वतंत्र साक्षी रामधारी यादव, द्वारिका प्रसाद व भगवानदास ने भी इस तथ्य की पुष्टि करी है कि रिवीजनकर्ता द्वारा कौशिल्या देवी की पति की मृत्यु के बाद उनकी देखभाल नही की जा रही थी जिससे तंग आकर वह अपनी इच्छा से अपनी बहन के घर चली गयी थी। यहाँ यह भी सन्दर्भित है कि सी०डी० के पर्चा नं०–4 के पृष्ठ–7 पर स्वतंत्र साक्षी शिवपूजन गोस्वामी के बयान अंकित हैं जिसमें उनके द्वारा यह स्पष्ट रुप से अंकन किया गया है कि मृतका कौशिल्या देवी विपक्षी संख्या–2 की मौसी थी और करीब डेढ़ वर्ष से उन्हीं के यहां रहती थी। उनका पालन पोषण भी राम गरीब व उसकी पत्नी के द्वारा किया जाता था। उनके पालन पोषण से मृतका कौशिल्या देवी बहुत खुश थी और दिनाँक 18.08.2021 को कौशिल्या देवी की वृद्धावस्था के कारण स्वाभाविक मृत्यु हो गयी जिसका दाह संस्कार भी राम गरीब के द्वारा विधि अनुकुल किया गया। इस साक्षी ने अपने धारा–161 दं०प्र०सं० के बयान में यह भी कथन किया है कि **"पड़ोसी होने के कारण मेरी आये दिन मुलाकात कौशिल्या देवी से होती थी वह कभी किसी बात की शिकायत नही करती थी बल्कि राम गरीब व उसके परिवार वालों की बड़ाई की करती थी। कौशिल्या देवी की उम्र ज्यादा हो गयी थी जो काफी वृद्ध हो चुकी थी। वृद्धावस्था के कारण ही दिनांक 18.08.2021 को उनकी मृत्यु हुयी। उनके दाह संस्कार में मैं व गांव के सभी लोग शामिल हुए थे। जहां तक सम्पत्ति का मामला है तो उन्होंने मेरी जानकारी के अनुसार करीब एक वर्ष पहले ही राम गरीब को अपनी पूरी चल अचल सम्पत्ति का मालिक बना दिया था।"**

माननीय उच्चतम न्यायालय ने Prabhakar pandey Vs U.P. state & Ors, Crl Rev. No. 2341 of 2001 decided on 30.05.2022, में यह अवधारित किया गया है कि:–

"पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने पर विद्वान सत्र न्यायालय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित संज्ञान और समन आदेश को रद्द नहीं कर सकता, अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने में, सत्र न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित है और सत्र न्यायायलय केवल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश में अवैधता, अनियमितता और अनुचितता की जांच कर सकता है। यदि सत्र न्यायालय को कोई अवैधता, अनियमितता या क्षेत्राधिकार त्रुटि मिलती है तो सत्र न्यायालय कार्यवाही को रद्द नहीं कर सकता है, बल्कि पुनरीक्षण न्यायालय को मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के संबंध में त्रुटि को इंगित करके निर्देश जारी करने की शक्ति है।"

हस्तगत प्रकरण में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है।

हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जो मुख्य विवाद है वह मृतका की वसीयत मृतका द्वारा रिवीजनकर्ता के पक्ष में न करके अपनी बहन के पुत्र विपक्षी संख्या–2 राम गरीब के पक्ष में करने के कारण उत्पन्न हुआ है। विद्वान अवर न्यायालय ने एफ०आर० 318/2022 का निस्तारण करते हुए रिवीजनकर्ता की प्रोटेस्ट पेटीशन को खारिज करने का जो आदेश पारित किया है वह युक्तियुक्त व विधित निर्णयों से समर्थित है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। ऐसी स्थिति में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत है। उक्त आधार पर दाण्डिक निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता श्याम लाल द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी संख्या–140/2023, निरस्त की जाती है। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा एफ.आर. नं. 318/2022 श्यामलाल बनाम राम गरीब आदि, थाना तारुन, जिला फैजाबाद, अपराध संख्या–284/2021, धारा–302, 201, 506 भा.दं.सं. स्वीकार कर निगरानीकर्ता का प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र निरस्त करने संबंधी आदेश दिनाँकित 03.08.2023 को पुष्ट किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को प्रषित हो। तद्नुसार दाण्डिक निगरानी की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनाँक–जून 12, 2026

(दीपिका तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 2719

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनाँक–जून 12, 2026

(दीपिका तिवारी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–6, अयोध्या।
जे०ओ० कोड–यू०पी० 2719